स्पीड पोस्ट

भारत सरकार

Government of India

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

National Commission for Scheduled Tribes

(A Constitutional body set up under Article 338A of the Constitution of India)

छठा तल, 'बी' विंग, लोकनायक भवन,
नई दिल्ली- 110003

केस नंबर: AG/15/2019/STGUP/SEFCC/RU-I

दिनाक: 26.07.2019

सेवा में,

ज़िला अधिकारी,
ज़िला- गाजीपुर,
(उत्तर प्रदेश)

ज़िला समाज कल्याण अधिकारी,
ज़िला- गाजीपुर,
(उत्तर प्रदेश)

विषय: अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र न जारी करने के संबंध में- अखिल भारतवर्षीय गोंड महासभा, शाखा- गाजीपुर (हैदरगंज, मटेहु, गाजीपुर) का अभ्यावेदन ।

महोदय,

मुझे उपरोक्त विषय पर, सुश्री अनुसुईया उइके माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली की अध्यक्षता में 16.07.2019 समय 02.30 बजे आयोजित बैठक के कार्यवृत की प्रति (संलग्न) आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करने का निर्देश हुआ है ।

यह अनुरोध है कि आयोग द्वारा की गई अनुसंशाओं पर कार्यवाही रिपोर्ट निर्धारित अवधि के अंदर भेजने का कष्ट करे ।

भवदीय,

(राजेश्वर कुमार)
सहायक निदेशक
दूरभाष: 24641640

प्रतिलिपि:

1 अखिल भारतवर्षीय गोंड महासभा,
शाखा- गाजीपुर,
कार्यालय: हैदरगंज, मटेहु,
गाजीपुर,
(उत्तर प्रदेश)

2 श्री अवधेश गोंड,
पुत्र श्री रमायन गोंड,
ग्राम- कटरिया व पोस्ट- कटरिया धरमम्पूर,
तहसील व ज़िला- गाजीपुर,
(उत्तर प्रदेश)
(कृपया इस प्रकरण में अखिल भारतवर्षीय गोंड महासभा, शाखा- गाजीपुर, कार्यालय: हैदरगंज, मटेहु, को भी सूचित करे)

Copy for information to:

1. PS to Hon'ble Vice-Chairperson, NCST
2. NIC (please upload on the Commission's website)

Government of India
National Commission for Scheduled Tribes

ज़िला प्रशासन, ज़िला- गाजीपुर द्वारा गोंड समुदाय के लोगों को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र न जारी करने के संबंध में सुश्री अनुसुईया उइके, माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में आयोजित सिटिंग दिनाक 16.07.2019 समय 02.30 बजे का कार्यवृत ।

(केस नंबर: AG/15/2019/STGUP/SEFCC/RU-I)

List of participants in the sitting is annexed.

2. अखिल भारतवर्षीय गोंड महासभा, शाखा- गाजीपुर, कार्यालय: हैदरगंज, मटेहु, गाजीपुर, (उत्तर प्रदेश) ने अभ्यावेदन दिनाक 06.05.2019 के द्वारा आयोग को अवगत कराया कि ज़िला- गाजीपुर के प्रशासन द्वारा तहसील- गाजीपुर में 9, तहसील- जमानिया में 4, तहसील- कासिमाबाद में 8, तहसील- मोहम्मदाबाद में 9 तथा तहसील- सेवराई में 4 व्यक्तियों के साक्ष्य होने के बावजूद गोंड अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है । आयोग ने प्रकरण में पत्र दिनाक 28.05.2019 द्वारा ज़िला अधिकारी, गाजीपुर से तथ्य तथा आख्या भेजने का अनुरोध किया ।

3. उपरोक्त प्रकरण में दिनाक 16.07.2019 की सिटिंग में ज़िला अधिकारी, गाजीपुर उपस्थित नहीं हुये और ज़िला समाज कल्याण अधिकारी, ज़िला- गाजीपुर को सिटिंग में उपस्थित रहेंगे, की सूचना दी । ज़िला समाज कल्याण अधिकारी, ज़िला- गाजीपुर तथा आवेदक सिटिंग में उपस्थित हुये । माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने आवेदक से ज़िला प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में पूछा । आवेदक ने बताया कि ज़िला प्रशासन द्वारा अभी भी गोंड समुदाय के लोगों को अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किये जा रहे है । ज़िला समाज कल्याण अधिकारी, ज़िला- गाजीपुर, ने ज़िला अधिकारी के पत्र संख्या 174/आ0लि0-1/2019 दिनाक 12.07.2019 जिसके साथ तहसीलदार, गाजीपुर, कासिमाबाद, मोहम्मदाबाद तथा जमानिया द्वारा ज़िला अधिकारी गाजीपुर को गोंड समुदाय के लोगों को अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के संबंध में भेजी गई आख्या संलग्न थी, आयोग को प्रदान किया ।

4. तहसीलदार कासिमाबाद की आख्या रिपोर्ट संख्या मेमो/जाति प्र0प0 जांच/2019 दिनाक 11.07.2019 में सूचित किया गया कि 8 में से एक व्यक्ति को प्रमाण पत्र जारी किया गया है । तहसीलदार मोहम्मदाबाद की आख्या रिपोर्ट संख्या 705/ प्रमाण पत्र/2019 दिनाक 10.07.2019 में सूचित किया गया कि सभी 9 व्यक्तियों को प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है । तहसीलदार गाजीपुर की आख्या रिपोर्ट संख्या 1386/ जाति प्र0प0 जांच/2019 दिनाक 10.07.2019 में सूचित किया गया कि सभी 9 व्यक्तियों का आवेदन सही नहीं पाये जाने के कारण निरस्त कर दिये गये है । तहसीलदार जमानिया ने पत्र दिनाक 10.07.2019 द्वारा सूचित किया गया कि सभी 4 व्यक्तियों के आवेदनो को निरस्त कर दिया गया है । आवेदको द्वारा पुनः ऑनलाइन आवेदन किया गया है, जांच के बाद नियमानुसार अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा । तहसीलदार सेवराई की आख्या रिपोर्ट के संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई ।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

5. प्रकरण में विस्तृत चर्चा के बाद, माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने निम्न सिफ़ारिशे करते हुए एक मास के अंदर आयोग को रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा :-

(1) ज़िला अधिकारी गाजीपुर द्वारा ज़िले के सभी लेखपालों एवं तहसीलदारों तथा अन्य संबन्धित अधिकारियों को गोंड अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र के प्रकरणो को प्राथमिकथा देने को कहा जाये ।

(2) तहसीलदार- गाजीपुर, जमानिया, कासिमाबाद तथा सेवराई में गोंड समुदाय के लोगों को अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु लंबित प्रकरणो पर शीघ्र कार्यवाही करने को कहा जाये ।

(3) आवेदको की वास्तविकता का पता लगाने हेतु स्थलीय जांच के समय संबन्धित ग्राम प्रधान एवं गोंड समुदाय के संभ्रांत व्यक्तियों (जिस गाँव का आवेदक हो या निकट के गाँव से हो) जानकारी प्राप्त की जाये ।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

ज़िला प्रशासन, ज़िला- गाजीपुर द्वारा गोंड समुदाय के लोगों को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र न जारी करने के संबंध में सुश्री अनुसूइया उइके, माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में आयोजित सिटिंग दिनाक 16.07.2019 समय 02.30 बजे के प्रतिभागियों की सूची ।

(Case No. AG/15/2019/STGUP/SEFCC/RU-I)

I **National Commission for Scheduled Tribes**

1. Ms. Anusuiya Uikey, Hon'ble Vice-Chairperson — In Chair

2. Shri Gaurav Kumar, P. S. to Hon'ble Vice-Chairperson

3. Shri Rajeshwar Kumar, Assistant Director

4. Shri R.S. Misra, Senior Investigator

II **District- Ghazipur**

Nil

III **District Social Welfare Officer, Ghazipur**

Shri Jitendra Mohan Shukla,
(nominated by District Magistrate)

IV **Petitioner**

Shri Ramnath Ram,
Village- Haiderganj, Post- Matehun,
Tehsil- Kasimabad, District- Ghazipur